न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 70/2017/75 एलआर एक्ट

1. भंवरलाल पुत्र जसराम जाति ब्राहम्ण निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. हरलाल पुत्र जसराम जाति ब्राहम्ण निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. उग्रसेन पुत्र जसराम जाति ब्राहम्ण निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. ओमप्रकाश पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. रणजीत पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. लिछमा पत्नि साजनराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. कालूराम पुत्र. साजनराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. प्रेमकुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. सुभाषचन्द्र पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. उग्रसेन पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. बेबी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. अकुंर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
13. साहिल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. शारदा पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. प्रदीप पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
16. रामचन्द्र पुत्र देवीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
17. सत्यनारायण पुत्र देवीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
18. गौरीशंकर पुत्र देवीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
19. रिखीराम पुत्र देवीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
20. मनफुल पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
21. चेतराम पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
22. मालाराम पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
23. जगराम पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
24. भागीरथ पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
25. हरीराम पुत्र धन्नाराम जाति सुथार निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
26. शशिगोयल पत्नि मुकेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 07 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्टस

—: बनाम :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

——— रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.12.2016 न्यायालय सहायक उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति चक 3 पीबीएन प्र0सं0 39 / 2016

श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –29.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1275 दिनांक 06.12.2016 द्वारा रास्तो पर प्रतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 एवं उसके संदर्भ मे श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के पत्रांक प.13( )सआबी / मोनी / कले0 का / 16 / 2231–34 दिनांक 01.07.2016 तथा श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 11 / 7 / 2016 की पालना मे पटवारी रिपोर्ट ली गई जिसमे चक 3 पीबीएन के प.न. 59 / 324 मु.न. 2 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59 / 325 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59 / 326 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व प.न. 59 / 327 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे मौका पर रास्ता चालू है। उपरोक्त रास्ता लगभग 12 फीट चौड़ा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। जिसे राजस्व रिकार्ड मे आवागमन के लिये स्वीकृत करवाया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कतई गलत विधि विरूद्ध एवं न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध एकतरफा पारित होने के कारण काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु किसी व्यक्ति व संस्था का कोई आवेदन पत्र नही था। उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने किस विधि के तहत यह रास्ता स्वीकृत किया है। ऐसा कोई अंकन पत्रावली पर अंकित नही है और न ही तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट मे अंकित किया है। इस रास्ता बाबत पूर्व मे पूर्ण कार्यवाही अपनाकर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा दिनांक 28.04.2011 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता खारिज कर दिया गया। इसलिये पुनः उसी भूमि मे रास्ता स्वीकृति किया जाना न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है। जिस भूमि मे रास्ता स्वीकृत किया गया है वहां कभी रास्ता चालू नही रहा और न ही किसी व्यक्ति को इस रास्ता की आवश्यकता है। प्रश्नगत रास्ता भूमि के अपीलांट खातेदार काश्तकार है। अपीलांटस की भूमि मे रास्ता मंजूर करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत एवं उचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई प्रक्रिया अपनाये अपीलांटस को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अपील मे वर्णित रास्ता बाबत पूर्व मे उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण सुनवाई कर निर्णय पारित किया था इसलिए पुनः कार्यवाही विधि वर्जित है। अपीलांअ को बिना सुनवाई एवं सूचना के एकतरफा निर्णय है जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1998 पेज 547, आरआरडी 2001 पेज 68, आरआरडी 1992 पेज 17 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 3 पीबीएन के प.न. 59/324 मु.न. 2 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59/325 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59/326 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व प.न. 59/327 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे मौका पर रास्ता चालू है। उपरोक्त रास्ता लगभग 12 फीट चौड़ा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। जिसे राजस्व रिकार्ड मे आवागमन के लिये स्वीकृत करवाया जाना उचित है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रास्तो पर प्रतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं उसके संदर्भ मे श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के पत्रांक प.13( )सआबी/मोनी/कले0 का/16/2231–34 दिनांक 01.07.2016 तथा श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 11/7/2016 की पालना मे रास्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्तानुसार पालना करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे रेस्पो0 तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1273 दिनांक 06.12.2016 द्वारा रास्तो पर प्रतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं उसके संदर्भ मे श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के पत्रांक प.13( )सआबी/मोनी/कले0 का/16/2231–34 दिनांक 01.07.2016 तथा श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 11/7/2016 की पालना मे पटवारी रिपोर्ट ली जाकर चक 3 पीबीएन के प.न. 59/324 मु.न. 2 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59/325 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59/326 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व प.न. 59/327 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे मौका पर रास्ता चालू है। उपरोक्त रास्ता लगभग 12 फीट चौड़ा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। जिसे राजस्व रिकार्ड मे आवागमन के लिये स्वीकृत करवाया जाना उचित है, अंकित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जरिये रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने आदेश दिये गये। जिसमे प्रभावित पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर भी नही दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकार को बिना सुने चक 3 पीबीएन के प.न. 59/324 मु.न. 2 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59/325 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25, प.न. 59/326 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व प.न. 59/327 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता स्वीकृत कर अपीलाधीन आदेश किया है जो त्रुटिपूर्ण सिद्ध होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2016 निरस्त किया जाकर तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर रास्ता के संबंध मे भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 बाबत रास्ते संबंधी समस्याओ का निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़